मार्कियो टाडो

बनाम

तकम सोरंग

(2012 की सिविल अपील संख्या 8260)

10 मई 2013

(जी.एस. सिंघवी और एच.एल. गोखले, जेजे)

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 141 -न्यायिक अनौचित्य का कार्य-राज्य विधान सभा चुनाव-अपीलकर्ता को उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या 1 को हराकर निर्वाचित घोषित किया गया - प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलकर्ता के चुनाव को बूथ कैप्चरिंग के भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की - प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी अन्तरवर्ती आवेदन पेश कर दोहरे मतदान का आरोप लगाते हुए इसे बूथ कैप्चरिंग का एक पहलू बताते हुए मतदाताओं के काउंटरफॉइल के रिकॉर्ड (फॉर्म 17ए में) मंगाने की प्रार्थना की - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त रिकॉर्ड को तलब किया, परन्तु उस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर अपास्त कर दिया कि प्रतिरूपण

और दोहरा मतदान धोखे की श्रेणी में आएगा और यह मतों की अनुचित प्राप्ति का एक पहलू होगा न कि बूथ कैप्चरिंग का - उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी, बाद में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मतदाताओं के रजिस्टरों (फॉर्म 17ए) को हस्ताक्षर/ फिंगर प्रिंट के वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन हेतु एफएसएल को भेजने का निर्देश दिया तथा फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ सहित न्यायालय के साक्षियों एवं और बचाव साक्षियों के परीक्षण के उपरान्त चुनाव याचिका स्वीकार की - इसके अलावा एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 काे अधिक मत प्राप्त हुए थे, और इसलिए, उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया - अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने, इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों में पहले ही निर्णय कर दिया था कि काउंटरफाॅइल मंगाने के लिये कोई मामला नहीं बनता था, मतदाताओं के काउंटरफाॅइल तक जाकर अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया - यह संविधान के अनुच्छेद 141 का अधिदेश की उपेक्षा आैर न्यायिक अनुशासनहीनता के अलावा और कुछ नहीं है - चुनाव याचिका मात्र बूथ कैप्चरिंग के आधार पर दायर की गई थी, जो कि स्थापित नहीं हुई थी - एकल न्यायाधीश ने एक अननुमत कार्य और अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त उन मतों को हटा

दिया, जिन्हें उन्होंने दूषित मत माने थे - न्यायाधीश ने यह नजरअंदाज कर दिया कि यदि धारा 100(1)(d)(iii) के तहत् मतों की अनुचित प्राप्ति का आधार भी लिया जाता, तो भी प्रत्यर्थी संख्या 1 यह स्थापित करने में विफल रहा था कि अपीलकर्ता के चुनाव का परिणाम इस तरह के अनुचित मतों की प्राप्ति से तात्विक रूप से प्रभावित हुआ था - इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप न्यायालय का समय बर्बाद हुआ, जो बहुत कीमती है - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 123(8) सपठित धारा 135 ए और धारा 100(1)(d)(iii) - न्यायिक अनुशासन।

राज्य विधान सभा चुनावों में, अपीलकर्ता को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, प्रत्यर्थी संख्या 1 को 2713 मतों से हराकर निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष बूथ कैप्चरिंग के भ्रष्ट आचरण के आधार पर अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी दोहरे मतदान का आरोप लगाते हुए एक अन्तरवर्ती आवेदन पेश किया और मतदाताओं के काउंटरफ़ॉइल के रिकॉर्ड (फॉर्म 17 ए में) मंगाने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फॉर्म 17 ए में मतदाताओं के काउंटरफ़ॉइल के रजिस्टरों का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन यह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल

अपील संख्या 1539/2012 में अपास्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बूथ कैप्चरिंग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(8) सपठित धारा 135ए के तहत एक विशिष्ट भ्रष्ट आचरण है, जिसमें बल का उपयोग शामिल है, जबकि प्रतिरूपण या दोहरा मतदान छल के आधार पर होता है; प्रतिरूपण या दोहरे मतदान से मत अनुचित तरीके से प्राप्त होंगे, जो अधिनियम की धारा 100(1)(d)(iii) के तहत चुनाव को शून्य घोषित करने का एक और आधार है, और यह आधार याचिका में नहीं लिया गया था आैर न ही इस आधार पर विचारण के लिये कोई विवाद्यक बनाया गया था; बूथ कैप्चरिंग या प्रतिरूपण के संबंध में कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहने पर, पहला प्रत्यर्थी दोहरे मतदान की अपनी शिकायत के समर्थन में मतदाता रजिस्टर के रिकॉर्ड की मांग करके अपने मामले में सुधार करने के लिए मछली पकड़ने और घूमने की पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था और याचिका में की गई उन अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने के लिए, जो तात्विक तथ्यों से समर्थित नहीं हैं या ऐसी दलीलों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य तलाशने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद, बाद में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मतदाताओं के रजिस्टर (फॉर्म 17ए) को, फॉर्म

17ए पर दर्शित हस्ताक्षर/फिंगर प्रिंट के वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या फॉर्म 17 (मतदाता रजिस्टर) में निहित व दर्ज अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर संबंधित वास्तविक मतदाताओ के प्रतिरूपण के उपाय के रूप में कुछ व्यक्तियों द्वारा अकेले और छलपूवर्क किये गये थे, विधिविज्ञान प्रयोगशाला में भेजने का निर्देश दिया। तदुपरान्त एकल न्यायाधीश ने फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ सहित न्यायालय के साक्षियों और बचाव पक्ष के साक्षियों का परीक्षण किया और उसके बाद अपीलकर्ता के चुनाव को शून्य मानते हुए चुनाव याचिका स्वीकार की। न्यायाधीश द्वारा की गई मतों की गणना के आधार पर, एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अधिक मत मिले थे, और इसलिए, उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया। इस आदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत वर्तमान अपील में चुनौती दी गई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1. चुनाव याचिका केवल बूथ कैप्चरिंग के आधार पर दायर की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं स्वीकार किया कि वह बूथ कैप्चरिंग के कार्य में शामिल किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सका। रिकार्ड

पर साक्ष्य ने स्पष्टतः दर्शाया कि कुछ आरोपों के अलावा, उसके समर्थन में कोई ताथ्विक साक्ष्य पेश नहीं की गयी थी। याचिकाकर्ता ने प्रतिरूपण और दोहरे मतदान काे बूथ कैप्चरिंग का ही एक पहलू बताने की कोशिश की। यह निवेदन सी.ए. संख्या 1539/ 2012 को निर्णित करते हुए इस न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था कि प्रतिरूपण और दोहरा मतदान छल की श्रेणी में आएगा और यह मतों की अनुचित प्राप्ति का एक पहलू होगा, न कि बूथ कैप्चरिंग का। बूथ कैप्चरिंग में बल प्रयोग शामिल है और यह स्थापित नहीं किया गया था। मतों की अनुचित प्राप्ति के आधार पर याचिका दायर नहीं की गई थी। यदि उस आधार पर भी गौर किया जाए, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उसकी साक्ष्य में स्वीकार किया कि उसके पास प्रतिरूपण द्वारा वोट डालने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। (पैरा 23) (492-बी-ई)

हरि राम बनाम हीरा सिंह **एआईआर 1984 एससी 396;** फुलेना सिंह बनाम विजय कुमार सिन्हा **2009 (5) एससीसी 290; 2009 (1) एससीआर 748;** राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई **एआईआर 1964 एससी 1249; 1964 एससीआर 235** और मार्कियो टाडो बनाम तकम सोरंग और अन्य **2012 (3) एससीसी 236; 2012 (4) एससीआर 661- संदर्भित।**

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने हस्तलेख और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों को बुलाकर और फॉर्म 17ए के रिकॉर्ड की मदद से मतदाताओं के हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट की तुलना करके अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया, जबकि यह वर्तमान मामले में ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य माना गया था। यह इस तथ्य से अलग है कि इससे न्यायालय के समय की बर्बादी हुई है, जो बहुत कीमती है। साक्ष्य कई तारीखों पर लेखबद्घ की गई थी और लोक अधिकारियों सहित कई साक्षियों को बुलाया गया था, जबकि उनकी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, और न्यायिक अनुशासन के लिए उन्हें संविधान के अधिदेश का पालन करना आवश्यक है। उसने एक अस्वीकार्य कार्य किया और अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त उन मतों को हटा दिया, जिसे उन्होंने दूषित मत माना। इसलिए, न्यायाधीश ने इस बात को नजरअंदाज किया कि भले ही धारा 100(1)(d)(iii) के तहत मतों की अनुचित प्राप्ति का आधार लिया जाता, प्रत्यर्थी संख्या 1 यह स्थापित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता के चुनाव का परिणाम मतों के ऐसे अनुचित प्राप्ति से तात्विक रूप से प्रभावित हुआ था। अतः एकल

न्यायाधीश का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और अस्थिर था। (पैरा 24, 25) (492-एफ-जी; 493-एफ; 494-बी-सी)

अजर हुसैन बनाम राजीव गांधी **एआईआर 1986 एससी 1253: 1986 एससीआर 782-संदर्भित।**

3. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य के बावजूद मतदाताओं के काउंटर फ़ाइल पर गौर किया कि यह न्यायालय पहले ही सी.ए. 1539/ 2010 में निर्णय दे चुका था कि वर्तमान मामले के तथ्यों में काउंटरफ़ॉइल को मंगाने का कोई मामला नहीं बनता था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी नहीं थी। तथापि, वह उक्त निर्णय में निहित निर्देश के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के लिए आगे बढ़े, जो न्यायिक अनुशासनहीनता और संविधान के अनुच्छेद 141 के अधिदेश की अवहेलना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कम से कम चौंकाने वाला है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे उच्च पद पर बैठे न्यायाधीश के लिए सर्वाधिक अशोभनीय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के महत्व पर इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद न्यायिक अनुचितता के ऐसे कृत्य दोहराये जाते हैं। (पैरा 26 और 27) (494-डी-एफ, एच; 495-ए)

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य **(1997) 6 एससीसी 450: 1997 (1) पूरक एससीआर 184;** पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम शिवानंद पाठक और अन्य **(1998) 5 एससीसी 513: 1998 (1) एससीआर 811-संदर्भित।**

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर चुनाव याचिका तदनुसार खारिज की जाती है। (पैरा 28) (495-जी)

केस लॉ संदर्भः

एआईआर 1984 एससी 396	संदर्भित	पैरा 15
2009 (1) एससीआर 748	संदर्भित	पैरा 15
1964 एससीआर 235	संदर्भित	पैरा 18
2012 (4) एससीआर 661	संदर्भित	पैरा 10
1986 एससीआर 782	संदर्भित	पैरा 24
1997 (1) पूरक एससीआर 184	संदर्भित	पैरा 27
1998 (1) एससीआर 811	संदर्भित	पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2012 की सिविल अपील संख्या 8260

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 2012 के चुनाव याचिका संख्या 1(एपी) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.11.2012 से।

अपीलकर्ता की ओर से मनीष गोस्वामी (मेप एण्ड कंपनी के लिए)।

प्रत्यर्थी की ओर से अभिजीत सेनगुप्ता।

न्यायालय द्वारा न्यायामूर्ति **एच.एल. गोखले जे ने** निर्णय पारित किया।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत यह वैधानिक अपील, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.11.2012 को चुनौती देती है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका संख्या 1(एपी)/2009; 1(एपी)/2012 के रूप में पुनः क्रमांकित, को स्वीकार किया गया, जिसमें अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र 20-ताली (एसटी) से अपीलकर्ता का चुनाव शून्य घोषित किया गया था और जिसके तहत प्रथम प्रत्यर्थी को उक्त निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। उक्त निर्णय और आदेश पारित होने के बाद अपीलकर्ता ने उक्त आदेश पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया और विद्वान न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 16.11.2012 द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पर

उक्त आदेश की दिनांक से 14 दिनों की अवधि के लिए रोक लगा दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होगा। यह अपील, दिनांक 27.11.2012 को स्वीकार की गई और इस न्यायालय द्वारा उस तारीख को पारित आदेश द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 16.11.2012 को प्रवर्तन में बने रहने का निर्देश दिया गया था। इस अंतरिम आदेश को बाद में अगले आदेश तक जारी रखा गया।

2. इस अपील से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अक्टूबर 2009 में 20-ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा था। जब चुनाव हुआ, उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित सरकार राज्य में सत्ता में थी। अपीलकर्ता पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणांचल प्रदेश (पीपीए) का उम्मीदवार था और पहला प्रत्यर्थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। मतदान दिनांक 13.10.2009 को हुआ और अपीलकर्ता को दिनांक 22.10.2009 को निर्वाचित घोषित किया गया, जिसने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या 1 को 2713 मतों से हराया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने

बूथ कैप्चरिंग के भ्रष्ट आचरण के आधार पर अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका संख्या 01/2009 दायर की।

3. इस 20-ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो सर्कल शामिल हैं, (i) ताली और (ii) पिप्सोरांग। प्रत्येक सर्कल में 10 मतदान केंद्र थे। पहले प्रत्यर्थी द्वारा याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि सर्कल ताली के दो मतदान केंद्रों (i) 7-रोइंग और (ii) 2-रूही से, बक्सों (ईवीएम युक्त) को अपीलकर्ता के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से हटा दिया गया था और अपीलकर्ता के पक्ष में वोट अकेले ही डाले गये थे। वास्तविक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि अपीलकर्ता के उपद्रवियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह दावा किया गया कि इन दोनों मतदान केंद्रों पर प्रथम प्रत्यर्थी के पोलिंग एजेंटों ने संयुक्त रूप से 15.10.2009 को इन मतदान केंद्रों में होने वाली घटनाओं के बारे में सहायक रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट दी थी। आगे आरोप लगाया गया कि ऐसी घटनाएं 6 और मतदान केंद्रों पर भी हुई।

4. याचिका के पैरा 9 में कहा गया कि इन 8-मतदान केंद्रों (याचिका के पैरा-7 में उल्लेखित) की ईवीएम और फॉर्म 17 ए (मतदाताओं का रजिस्टर) के काउंटरफ़ॉइल को फोरेंसिक परीक्षण और

मामले के उचित निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष के लिए अन्य परीक्षण आदि हेतु लाना आवश्यक था। यह दावा किया गया था कि इन 8 मतदान केंद्रों पर अपीलकर्ता को प्राप्त मत 3763 थे और यदि उन्हें अपीलकर्ता के मतों से हटा दिया गया, तो प्रथम प्रत्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यह प्रार्थना की गई कि (i) याचिका के पैरा 7 में वर्णित इन 8 मतदान केंद्रों के मतदाताओं के रजिस्टर काउंटरफॉइल (फॉर्म 17-ए) (ii) इन 8 मतदान केंद्रों की ईवीएम और (iii) 20 ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रिकॉर्ड मंगाया जाए और अपीलकर्ता को यह कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाए कि 8 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में डाले गए वोटों को क्यों अवैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव आदेश दिनांक 22.10.2009 को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्वाचित उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए।

5. अपीलार्थी द्वारा लिखित कथन पेश कर याचिका का विरोध किया गया। उसने निवेदन किया कि उसके द्वारा या उसके एजेंटों द्वारा कोई अनुचित साधन नहीं अपनाया गया और कहा गया कि 8 मतदान केंद्रों में अपनाए गए अवैध आचरण का आरोप पूर्णतः मिथ्या है। उसने बताया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मियों का पहरा था जिनके पास हथियार और गोलाबारूद था। कहीं भी बूथ कैप्चरिंग या आपराधिक अभित्रास नहीं हुआ। रिसिविंग सेंटर पर ईवीएम और मतदाताओं के काउंटरफॉइल का सम्यक् सत्यापन किया गया और इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही चुनाव को शून्य घोषित करने का कोई प्रश्न था।

6. तदुपरान्त, विद्वान न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 8.3.2010 से निम्नलिखित विवाद्यक विरचित कियेः- (i) क्या चुनाव याचिका सुनवाई योग्य है? (ii) क्या 7-रोइंग मतदान केंद्र की मतदान टीम का ईवीएम सहित दिनांक 12.10.2009 को पीपीए कार्यकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था? (iii) क्या याचिकाकर्ता सहित पीपीए कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.10.2009 को 2-रूही और 5-गुची मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की गई थी? (iv) क्या अन्य 5 मतदान केंद्रों में से किसी पर बूथ कैप्चरिंग का कोई अपराध किया गया था? (v) क्या चुनाव याचिका के अनुबंध 1 से 9 तक कूटरचित, मनगढ़ंत और बाद में सोचे गए हैं? (vi) क्या निर्वाचित उम्मीदवार मार्कियो टाडो का चुनाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है? और (vii) क्या चुनाव याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित होने का अधिकारी है?

7. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, साक्ष्य शुरू होने से पहले, प्रथम प्रत्यर्थी ने 29 मार्च 2010 को उक्त चुनाव याचिका में अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 6/2010 पेश की। उसके पैरा 1 में उसने निम्नानुसार निवेदन कियाः-

1. कि आपका आवेदक यह निवेदन करना चाहता है कि 20 ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उन 8 मतदान केंद्रों (i) गिबा, (ii) तुंगमार, (iii) 15-रिचिक, (iv) 7-रोइंग, (v) 10-यार्डा, (vi) 5-गुची, (vii) 8-डोटे आैर (viii) 2-रूही के कुछ हजार मतदाताआें की 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न 38 मतदान केंद्रों में दोहरी प्रविष्टि है। जहां तक आवेदक को ज्ञात है, उक्त 20 ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्त 8 मतदान केंद्रों के करीब 80 प्रतिशत मतदाताओं ने उनका वोट 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाला है, न कि 20-(एसटी) ताली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में।

इसके बाद, उसने ईटानगर निर्वाचन क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों की सूची दी। उसने दावा किया कि ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या 1304 थी, जिनके नाम उन 38 मतदान केंद्रों पर थे। इसलिए, उसने प्रार्थना की कि 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपरोक्त 38

मतदान केंद्रों के मतदाताओं के रजिस्टर का रिकॉर्ड (फॉर्म 17-ए) जिला रिटर्निंग अधिकारी, जिला पपुम पारे से मंगवाया जाये।

8. अपीलार्थी द्वारा इस आवेदन का विरोध किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ नोट कीं। उन्होंने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ भी नोट की कि दोहरे नामांकन का कोई आरोप नहीं था और चुनाव याचिका में इस संबंध में कोई विवाद्यक नहीं बनाया गया था और इसलिए आवेदन खारिज किये जाने योग्य था। दलीलें नोट करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2010 द्वारा उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि *"मेरा मत है कि आवेदक द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड को मंगाना इस स्तर पर उचित नहीं है।"*

9. जब साक्ष्य लेखबद्ध की गयी, तो पीडब्ल्यू (1) ने कहा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिये वोट दिया। पीडब्ल्यू (2) ने कहा कि उसे मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी और फिर भी उसने कहा कि सिंगल हेण्डेड मतदान हुआ था। पीडब्ल्यू (3) प्रत्यर्थी संख्या 1 का पोलिंग एजेंट था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मतदान केंद्र पर जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में उसने कोई शिकायत दर्ज कराई थी। पीडब्ल्यू (4) ने कहा कि उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने की

अनुमति नहीं दी गयी। उसने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन साथ ही उसने कहा कि दोनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर थे। उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी। पीडब्ल्यू (5) ने कुछ दिलचस्प बयान दिये, उसने कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एजेंट था और उसे उसके प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया गया। उसने यह भी कहा कि उसने पीठासीन अधिकारी को कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीडब्ल्यू (6) ने भी इस अर्थ में इसी तरह के दिलचस्प बयान दिये कि यह प्रस्तावित किया गया कि कुछ वोट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में डाले जाएं। यह उल्लेख सुसंगत है कि जिस मतदान केंद्र पर उसने अपना वोट डाला, वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 42 वोट मिले। पीडब्ल्यू (7) रोइंग मतदान केंद्र पर पहले प्रत्यर्थी का पोलिंग एजेंट था। उसका दावा है कि उसने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि शिकायत किसने लिखी। पीडब्ल्यू (8) ने उसके प्रतिपरीक्षण में कहा कि उसे नहीं पता कि किसी मतदान अधिकारी का अपहरण किया गया था या नहीं। पीडब्ल्यू (9) एक दिलचस्प बयान देता हैं कि उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कुछ वोट देने के लिए मजबूर किया गया था।

10. इसके बाद, पहला प्रत्यर्थी पीडब्ल्यू (10) दिनांक 4.4.2010 को गवाह बॉक्स में आया। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने कहा कि उसने

15.10.2009 को 20-ताली (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को एक फैक्स संदेश भेजा था, जिसमें 2-रूही और 7-रोइंग मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया था। उसने कहा कि उसने 6 और मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की और शिकायतों की प्रतियां भी पेश की हैं। उसने कहा कि अपीलकर्ता के पक्ष में एकल मतदान हुआ और पहले प्रत्यर्थी के मतदाताओं को धमकाया गया और वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। उसने आगे कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं की 20-ताली (एसटी) के साथ-साथ ईटानगर (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां थी। उन्होंने वास्तव में 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 38 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर अपने वोट डाले थे और उनके स्थान पर अपीलकर्ता के उपद्रवियों द्वारा ताली निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले गये थे। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची प्रदर्शित की जानी थी। उसने आगे बताया कि 2-रूही मतदान केंद्र से मार्कियो तामा नाम के एक मृत व्यक्ति के स्थान पर वोट डाला गया था और संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

11. पहले प्रत्यर्थी ने 9.6.2010 को अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के दोहरे नामांकन के संबंध में चुनाव याचिका में कोई अभिकथन नहीं किया था। उसने

स्वीकार किया कि उसे पता था कि चुनाव होने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसके पहले ड्राफ्ट रोल संबंधित मतदाताओं की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था और उसने दो निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरे नामांकन के बारे में संबंधित अधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। उसने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि इतना दोहरा नामांकन हुआ है। वह यह नहीं बता सका कि वास्तव में मार्कियो तामा, जिसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, का वोट किसने डाला था।

12. प्रथम प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि उसने सभी मतदान केन्द्रों के लिए अपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये थे। वह मतदान एजेंटों के कर्तव्यों के बारे में जानता था, जिसमें मतदान के दौरान किसी भी प्रतिरूपण का पता चलने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष 2 रुपये के शुल्क के साथ एक निर्धारित फॉर्म भरकर आपत्ति उठाना शामिल था। उसने कहा कि उसके मतदान एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों ने पहले प्रत्यर्थी के लिए नकली मतदान एजेंटों के रूप में काम किया। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसने चुनाव याचिका में यह नहीं कहा है कि विपक्षी पार्टी द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों ने उनके लिए फर्जी पोलिंग एजेंट के रूप में काम किया था। उसने आगे स्वीकार किया

कि रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई उसकी शिकायत में सभी 8 मतदान केंद्रों का जिक्र नहीं था। इसमें सिर्फ 2 मतदान केंद्रों का जिक्र था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों का नाम नहीं बताया। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही इस प्रकार कहाः-

> "बूथ कैप्चरिंग पार्टी द्वारा प्रतिरूपण करके वोट डालने के संबंध में मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह साबित किया जा सकता है यदि संबंधित मतदान केंद्र पर लिए गए फिंगर प्रिंट और अंगूठे के निशान और फॉर्म 17 ए में किए गए हस्ताक्षर की तुलना संबंधित वोटों से की जाए।"

13. पहले प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया था कि दो मतदान केंद्रों, रूही और रोइंग में बूथ कैप्चरिंग हुई थी, जिसका आधार यह था कि रूही में पहले प्रत्यर्थी को केवल 3 वोट मिले, जबकि अपीलकर्ता को 697 वोट मिले, और रोइंग में उसे केवल एक वोट मिला, जबकि अपीलकर्ता को 1196 वोट मिले। इस पहलू पर उसे बताया गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में दो मंडल हैं। ताली और पिप्सोरांग। उक्त दोनों मतदान केंद्र ताली सर्किल में थे। पहले प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि निर्वाचित उम्मीदवार को 11-वोविया मतदान केन्द्र में कोई वोट नहीं मिला। उसने यह भी

स्वीकार किया कि निर्वाचित उम्मीदवार को 13-ज़ारा मतदान केंद्र में केवल 7 वोट मिले, दोनों पिप्सोरांग सर्कल में आते हैं। इसके बाद उसने स्वीकार किया कि

> "यह सही हो सकता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा कम वोट हासिल करना किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के प्रति उसके कम लगाव के कारण हो सकता है और यह चुनाव हारने का एक कारण भी हो सकता है।"

पहले प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये थे और उन्हें चुनाव के दौरान सभी उद्देश्यों के लिए, जब भी आवश्यकता हो, उपयोग के लिए डिजिटल कैमरे उपलब्ध कराये गये थे।

14. यह उस चरण में था कि पहले प्रत्यर्थी ने एक और आवेदन विविध प्रकरण संख्या 05(एपी)/ 2010 दिनांक 29 जूनए 2010 को दायर किया था। उस आवेदन में उसने दोहराया कि पहले उल्लेखित 8 मतदान केंद्रों के कुछ मतदाताओं की 13 ईटानगर (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न 38 मतदान केंद्रों में दोहरी प्रविष्टियां थी। पैरा 2 में उसने कहा कि उन 8 मतदान केंद्रों के ताली निर्वाचन क्षेत्र के 30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना वोट ईटानगर में डाला था, न कि ताली में,

और उनके स्थान पर अपीलकर्ता की ओर से दोहरा मतदान किया गया था, और इसलिए 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 38 मतदान केंद्रों से मतदाताओं के काउंटरफ़ॉइल का रिकॉर्ड (फॉर्म 17 ए में) प्राप्त करना आवश्यक है। अपीलकर्ता ने इस आवेदन का विरोध किया। अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि यह मामले को सुधारने के लिए मछली पकड़ने की जांच थी। हालाँकि, इस बार विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

> "यह आरोप नया लगता है, लेकिन जब इसकी बारीकी से जांच की जाती है, तो यह बूथ कैप्चरिंग के दायरे में भी आता है क्योंकि प्रतिरूपण द्वारा वोट अवैध तरीके या अवैध संसाधन के उपयोग से वोट हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में से एक है।"

15. विद्वान न्यायाधीश ने हरि राम बनाम हीरा सिंह, एआईआर 1984 एससी 396 में रिर्पोटेड इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया कि मतदाता सूची और काउंटरफ़ॉइल को संयम से मंगवाना चाहिए और केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री रखी गई हो । उन्होंने फुलेना सिंह बनाम विजोय कुमार सिन्हा, 2009(5) एससीसी 290 में रिर्पोटेड इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें

यह माना गया था कि फॉर्म 17-ए में मतदाताओं के रजिस्टर के रिकॉर्ड का निरीक्षण तब ही अनुमत होगा, जब कोई स्पष्ट मामला बनता हो। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यह तय करने के लिये कि क्या कोई प्रतिरूपण किया गया है, आधिकारिक रिकॉर्ड ही सबसे अधिक विश्वसनीय होगा आैर तदुपरान्त, 13-(एसटी) ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 38 मतदान केंद्रों से मतदाताआेंं के काउंटर फाइल के रजिस्टर का रिकॉर्डर् फॉर्म 17ए में तलब करने का आदेश पारित किया, जिस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी गयी।

16. इस पूववर्ती याचिका को सिविल अपील संख्या 1539/ 2012 के रूप में क्रमांकित किया गया था, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2012 को किया गया। अपीलकर्ता की ओर से यह बताया गया कि चुनाव याचिका बूथ कैप्चरिंग के भ्रष्ट आचरण के आधार पर दायर की गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से जो प्रचार किया जा रहा था, वह अपीलकर्ता पक्ष पर प्रतिरूपण/दोहरे मतदान का आरोप था। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग अधिनियम, 1951 की धारा 123(8) सपठित धारा 135ए के तहत एक विशिष्ट भ्रष्ट आचरण है। बूथ कैप्चरिंग में बल प्रयोग शामिल है, जबकि प्रतिरूपण या दोहरा मतदान छल के आधार पर होता है। इस निवेदन को इस न्यायालय द्वारा

स्वीकार किया गया। यह इस तथ्य से अलग था कि प्रतिरूपण या दोहरे मतदान से वोट अनुचित तरीके से प्राप्त होंगे, जो अधिनियम की धारा 100(1)(d)(iii) के तहत किसी चुनाव को शून्य घोषित करने का एक और आधार है, और याचिका में इस आधार का अभिकथन नहीं किया गया था और न ही इस पर विचारण के लिए कोई विवाद्यक विरचित किया गया था। अपीलकर्ता की ओर से यह प्रचारित किया गया था कि दोहरे मतदान या प्रतिरूपण को बूथ कैप्चरिंग के पहलुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

17. इस न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1539/ 2012 को निर्णित करते हुए कहा कि प्रतिरूपण या दोहरे मतदान की किसी भी दलील को सही ठहराने के लिए शायद ही कोई साक्ष्य थी। अतः, इस न्यायालय ने उक्त अपील में अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार यह स्पष्ट था कि बूथ कैप्चरिंग या प्रतिरूपण के संबंध में कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहने पर पहले प्रत्यर्थी ने, अपने मामले को बेहतर बनाने के लिए, दोहरे मतदान की उसकी शिकायत के समर्थन में, ईटानगर निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं के रजिस्टर का रिकॉर्ड मंगाकर मछली पकड़ने और घूमने की पूछताछ करने की कोशिश की थी। उन व्यक्तियों, जिन्होंने अपीलकर्ता के कहने पर, कथित तौर पर बूथों पर कब्जा कर लिया या ताली निर्वाचन क्षेत्र में दोहरा मतदान या प्रतिरूपण

किया, के सम्बन्ध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय आवेदन को अनुमति देने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की।

18. जैसाकि ऊपर दृष्टिगत है, विद्वान न्यायाधीश ने विविध प्रकरण संख्या 5(एपी)/ 2010 का निस्तारण करते समय, 13-(एसटी) ईटानगर निर्वाचन क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों के फॉर्म 17-ए में मतदाताओं के काउंटरफॉइल के रजिस्टर का रिकॉर्ड पेश करने के अपने निर्देश को न्यायोचित ठहराने के लिए इस न्यायालय के फुलेना सिंह (उपरोक्त) में पारित निर्णय पर विश्वास किया था। अतः, इस न्यायालय ने सिविल अपील 1539/2012 पर निर्णय करते हुए फुलेना सिंह के निर्णय और न्यायालय में ऐसे रिकॉर्ड के प्रस्तुतीकरण के संबंध में सही विधिक स्थिति की व्याख्या की। इसने *एआईआर 1964 एससी 1249* में रिपोर्ट किए गए *राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई* में इस अदालत की संविधान पीठ के निर्णय का सन्दर्भ दिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि मत-पत्रों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, स्वाभाविक रूप से निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ऐसा आदेश प्राप्त करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है कि -

(i) चुनाव को रद्द करने की याचिका में उन तात्विक तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल हो, जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में विश्वास करता है; और

(ii) अधिकरण प्रथमदृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने और पक्षकारों के मध्य पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

परन्तु मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों, जो तात्विक तथ्यों से समर्थित नहीं हैं, का समर्थन करने के लिए नहीं दिया जा सकता है अथवा ऐसी दलीलों के समर्थन हेतु साक्ष्य ढूंढने के लिए नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, फॉर्म 17-ए में वोटों के काउंटरफ़ाॅइल के रजिस्टर के प्रस्तुतीकरण को उचित ठहराने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी और इसलिए, इस न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 2.2.2012 द्वारा उक्त सिविल अपील की अनुमति दी और विविध प्रकरण (इपी) संख्या 05(एपी)/2010 को खारिज किया।

19. रिकॉर्ड पर आए तथ्यों से स्पष्ट है कि पहले प्रत्यर्थी को कुछ मतदान केंद्रों पर भारी वोट मिले, जबकि अपीलकर्ता को अन्य मतदान केंद्रों पर भी इसी तरह भारी वोट मिले। पहले प्रत्यर्थी ने वस्तुतः स्वीकार किया था कि यह उम्मीदवार की लोकप्रियता पर निर्भर करता है कि उसे

किसी विशेष मतदान केंद्र में अधिक वोट मिलेंगे या नहीं। यह मानते हुए कि धारा 100(1)(d) के तहत चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए वोटों की अनुचित प्राप्ति का आधार उठाया जा सकता है, इस न्यायालय ने सी.ए. संख्या 1539/2012 के निर्णय में निम्नानुसार उल्लेख कियाः-

> *"28. इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(d) की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनुचित प्राप्ति के आधार हेतु एक प्रत्याशी को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि चुनाव, जहां तक निर्वाचित प्रत्याशी का सम्बन्ध है, किस प्रकार तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है। प्रथम प्रत्यर्थी ने कहा है कि मतदाताओं की लगभग 1304 दोहरी प्रविष्टियाँ थीं। साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का आरोप केवल रोइंग और रूही मतदान केंद्र के संबंध में था। इन दोनों मतदान केंद्रों पर अपीलकर्ता को मिले वोट कुल मिलाकर 1873 होते हैं। अपीलकर्ता 2713 वोटों के अंतर से जीता है। ऐसा होने पर दूसरे आवेदन पर, चुनाव का परिणाम तात्विक रूप से प्रभावित होने के प्रथमदृष्टया मामले के अभाव में, इस आधार पर भी विचार नहीं किया जा सकता था।*

20. अतः, यह न्यायालय इस मुद्दे पर गया कि क्या 13 ईटानगर (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों से फॉर्म 17(ए) में मतदाताओं के काउंटरफ़ाॅइल का रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता था। न्यायालय ने चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 93 के प्रासंगिक प्रावधानों और क्षेत्र को शासित करने वाले निर्णयों की जांच की तथा इस मामले में भी *राम सेवक यादव* (उपयुर्क्त) की तरह अभिनिर्धारित किया कि याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों, जो तात्विक तथ्यों से समर्थित नहीं हैं, का समर्थन करने के लिए अथवा ऐसी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य काे ढूंढने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता था। अतः इस न्यायालय ने उस अपील को स्वीकार किया और निर्णय व आदेश दिनांक 14.9.2010 को अपास्त किया तथा विविध प्रकरण संख्या 5(एपी)/2010 दिनांक 29.6.2010 को खारिज किया। सिविल अपील 1539/ 2012, *मार्कियो टाडो बनाम तकम सोरांग और अन्य* के निर्णय को *2012 (3) एससीसी 236* में रिपोर्ट किया गया है।

21. इस पृष्ठभूमि में जब मामला आगे बढ़ा, तो न्यायालय के पास एक बार फिर उस रिकॉर्ड को मंगाने का कोई अवसर नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने फिर भी विविध प्रकरण (इपी) संख्या 06/ 2010 में दिनांक 19.3.2012 को यह अवधारित करते हुए एक आदेश पारित किया किः-

"जिला चुनाव प्राधिकारी से पहले ही प्राप्त हो चुके मतदाताओं के रजिस्टर (फॉर्म 17ए) को सीलबंद कवर में क्षेत्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बांदेरदेवा, अरुणाचल प्रदेश के निदेशक को भेजना समीचीन माना जाता है एवं उससे अनुरोध किया जावे कि फॉर्म 17ए में दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों/फिंगर प्रिंट की वैज्ञानिक जांच और सत्यापन करें और यह पता लगाएं कि क्या फॉर्म 17ए (मतदाता रजिस्टर) में निहित और दर्ज किए गए अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर कुछ व्यक्तियों द्वारा संबंधित वास्तविक मतदाताओं के प्रतिरूपण के रूप में अकेले और धोखाधड़ी से किए गए थे तथा ऐसी वैज्ञानिक जांच/सत्यापन के बाद इस न्यायालय की रजिस्ट्री को रिपोर्ट 3 मई 2012 के भीतर सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे। रजिस्ट्री को तदनुसार कायर्वाही करने का निर्देश दिया गया।"

विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित इस आदेश दिनांक 19.3.2012 को अपीलकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका 12707/2012 दायर कर यह बताते हुए चुनौती दी गयी कि इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1539/ 2012 में दिए गए निर्णय और आदेश के तहत ऐसा आदेश

नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि, अपीलकर्ता ने एसएलपी संख्या 12707/2012 को, इसमें उठाये गये प्रश्नों को बाद में मुख्य चुनाव याचिका पर निर्णय होने पर आवश्यकता होने पर, पुनः उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली।

22. विद्वान न्यायाधीश ने फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ सीडब्ल्यू 3 सहित न्यायालय के साक्षियों का परीक्षण किया। तदुपरान्त, न्यायालय ने बचाव पक्ष के साक्षियों का परीक्षण किया और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनकर चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और माना कि याचिकाकर्ता का चुनाव शून्य था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई मतों की गणना के आधार पर माना कि पहले प्रत्यर्थी को अधिक मत मिले थे और इसलिए उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया। यही वह आदेश है, जिसे चुनौती दी गयी है।

23. अब, जैसा कि उपर्युक्त वृतान्त से देखा जा सकता है, चुनाव याचिका केवल बूथ कैप्चरिंग के आधार पर दायर की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं ने स्वीकार किया कि वह बूथ कैप्चरिंग के कार्य में शामिल किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सका। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य ने स्पष्टतः दर्शाया है कि कुछ आरोपों के अलावा, उसके समर्थन में कोई तात्विक साक्ष्य पेश नहीं की गयी। याचिकाकर्ता ने बूथ कैप्चरिंग

के एक पहलू के रूप में प्रतिरूपण और दोहरे मतदान का दावा करने की कोशिश की। यह निवेदन पहले ही इस न्यायालय द्वारा सी.ए. संख्या 1539/2012 (उपर्युक्त) का निर्णय करते समय खारिज कर दिया गया था कि प्रतिरूपण और दोहरा मतदान छल की श्रेणी में आएगा और यह वोटों की अनुचित प्राप्ति का एक पहलू होगा, न कि बूथ कैप्चरिंग का। बूथ कैप्चरिंग में बल प्रयोग शामिल है और यह स्थापित नहीं किया गया था। वोटों की अनुचित प्राप्ति के आधार पर याचिका दायर नहीं की गई थी। यहां तक कि अगर इस आधार पर गौर भी किया जाए, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि प्रतिरूपण द्वारा मतदान के सम्बन्ध में उसके पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

24. विद्वान न्यायाधीश ने हस्तलेख और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों को बुलाकर तथा फॉर्म 17 ए में रिकॉर्ड की सहायता से मतदाताओं के हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट की तुलना करके अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओ का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, जबकि इसे वर्तमान मामले में ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य माना गया था। यह इस तथ्य से अलग है कि इससे न्यायालय के कीमती समय की बर्बादी भी हुई। साक्ष्य कई तारीखों पर लेखबद्ध की गयी और लोक अधिकारियों सहित कई साक्षियों बुलाया गया, जबकि उनकी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। किसी चुनाव याचिका को, जहां एेसा कोई मामला नहीं बनता है, उस सीमा तक

संक्षेपतः खारिज करने के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा *एआईआर 1986 एससी 1253* में रिपोर्ट किए गए *अजर हुसैन बनाम राजीव गांधी* के पैराग्राफ 12 में की गयी टिप्पणियों का संदर्भ लेना सुसंगत होगा, जो निम्नानुसार हैः-

> "12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अागे बहस की कि किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत किसी चुनाव याचिका को संक्षेपतः खारिज करने की शक्तियों का प्रयोग आरम्भिक स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। सारतः तर्क यह है कि न्यायालय को विचारण करना चाहिए, साक्ष्य लेखबद्ध करनी चाहिए और चुनाव याचिका के विचारण समाप्ति के उपरान्त ही, दोषपूर्ण याचिका, जो वाद हेतुक का प्रकटन नहीं करती है, से उचित तरीके से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता का यह एक ऐसा तर्क है, जिसे समझना कठिन है। **ऐसी शक्तियां प्रदान करने का पूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक अर्थहीन और निष्फल साबित होने वाले प्रकरण को, न्यायालय का समय लेने एवं प्रत्यर्थी के मस्तिष्क का प्रयोग करने के**

लिये, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डैमोकल्स की तलवार को बिना मतलब या उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाये रखने की आवश्यकता नहीं है।.....

(बल दिया गया)

25. न्यायाधीश ने इस बात को स्पष्टतः नजरअंदाज कर दिया कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है और न्यायिक अनुशासन के लिए उन्हें संविधान के अधिदेश का पालन करना आवश्यक है। वह एक अनुनमत कार्य में प्रविष्ठ हुए और अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त उन मतों को हटा दिया, जिन्हें उन्होंने दूषित मत माना था। यह आश्चर्यचकित करने वाला है कि विद्वान न्यायाधीश ने 8 मतदान केंद्रों से अपीलकर्ता के मत हटाने की कार्रवाई की है, जबकि शिकायत केवल रूही और रोइंग मतदान केंद्रों के बारे में थी। इन कटौतियों से, वह इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को 826 मत अधिक मिले हैं। जैसाकि सिविल अपील संख्या 1539/2012 में दिये गये निर्णय के पैराग्राफ 28 से देखा जा सकता है कि पहले प्रत्यर्थी का मामला श्रेष्ठतम यह था कि 1304 नामों में मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियाँ थी। आरोप सिर्फ दो

मतदान केंद्रों को लेकर था। उन मतदान केंद्रों पर अपीलकर्ता को 1873 मत मिले थे। यदि इन 1304 मतों को हटा भी दिया जाए, तो इससे परिणाम पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपीलकर्ता 2713 मतों के अंतर से जीता था। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भले ही धारा 100(1)(d)(iii) के तहत मतों की अनुचित प्राप्ति का आधार लिया जाता, तो भी प्रत्यर्थी संख्या 1 यह स्थापित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता के चुनाव का परिणाम मतों की ऐसी अनुचित प्राप्ति से तात्विक रूप से प्रभावित हुआ। अतः विद्वान न्यायाधीश का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और अस्थिर था।

26. इस प्रकार, विद्वान न्यायाधीश इस तथ्य के बावजूद मतदाताओं के काउंटरफाॅइल में चले गये कि यह न्यायालय पहले ही सी.ए. 1539/2010 में निर्णय कर चुका था कि कि वर्तमान मामले के तथ्यों में काउंटरफ़ॉइल को मंगवाने का कोई मामला नहीं बनता था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पैरा 9(i) में इस निर्णय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सीए संख्या 1539/2010 को उनके निर्णय आैर आदेश दिनांक 14.9.2010 के विरूद्ध पेश किया गया है। तत्पश्चात उन्होंने विशिष्ठतः उल्लेख किया है कि उक्त सिविल अपील को निर्णय और आदेश दिनांक 2.2.2012, जो (2012) 3 एससीसी 236 में रिपोर्ट किया गया है, से

स्वीकार कर उपर्युक्त एम.सी. (इपी) संख्या 5(एपी)/2010 अन्तर्गत धारा 83(1) आर.पी.एक्ट को खारिज किया गया। तदुपरान्त, फिर भी उसने एम.सी.(इपी) संख्या 5(एपी)/2010 के खारिज होने से व्युत्पन्न निर्देश से ठीक विपरीत कार्य किया, जो न्यायिक अनुशासनहीनता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अधिदेश की अवहेलना के अलावा कुछ नहीं है। यह कम से कम चौंकाने वाला है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे उच्च पद पर बैठे न्यायाधीश के लिए सर्वाधिक अशोभनीय है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि न्यायाधीश ने ऐसा क्यों किया, यद्यपि हम उस पहलू पर जाने से बचते हैं।

27. निष्कर्ष से पूर्व, हम कह सकते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के महत्व पर इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद न्यायिक अनुचितता के ऐसे कृत्य दोहराए जाते हैं। इसी प्रकार, *(1997) 6 एससीसी 450* में रिपोर्ट किए गए *द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य* के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में इस न्यायालय ने कहा,

> "32. जब विधि में कोई स्थिति, इस न्यायालय की न्यायिक घोषणा के परिणामस्वरूप सुस्थापित हो जाती

है, तो उच्च न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों के लिए स्थापित निर्णयों की अनदेखी करना और फिर स्थापित विधिक स्थिति के विपरीत कोई न्यायिक आदेश पारित करना, यह कम से कम शब्दों में न्यायिक अनुचितता होगी। इस भांति के न्यायिक दुस्साहस की अनुमति नहीं दी जा सकती है और हम स्थापित सिद्धांतों को लागू न करने और सनकी आदेश पारित करने की अधीनस्थ न्यायालयों की प्रवृत्ति की कठोरता से निंदा करते हैं, जिसका अनिवार्यतः एक पक्ष को अनुचित और गलत राहत देने का प्रभाव होता है। अब समय आ गया है कि यह प्रवृत्ति बंद हो।"

हम *(1998) 5 एससीसी 513* में रिपोर्टेड *पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य बनाम शिवानंद पाठक व अन्य* के पैरा 28 को भी संदर्भित कर सकते है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि,

"यदि कोई निर्णय किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो न्यायिक अनुशासन के लिए आवश्यक है कि जिस न्यायाधीश का निर्णय खारिज किया है, उसे निर्णय के अधीन रहना होगा। वह समान

कार्यवाही या समान पक्षकारों के मध्य की सम्पार्श्विक कार्यवाही में खारिज किए गए निर्णया को फिर से नहीं लिख सकता है..."

28. इन परिस्थितियों में, हमारे पास इस अपील को स्वीकार करने और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 12.11.2012 को दिये गये निर्णय और आदेश को अपास्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर चुनाव याचिका संख्या 1(एपी)/2009, चुनाव याचिका संख्या 1(एपी)/2012 के रूप में पुनः क्रमांकित, खारिज की जाती है। पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अपील स्वीकार की गयी।

हरिश मेनारिया

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरिश मेनारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।